मुरुगन

बनाम

तमिलनाडु राज्य

2 मई, 2018

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 364 और 34 – हत्या – सामान्य आशय – पारिस्थितिक साक्ष्य – हेतु – जहां साक्षियों के साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया हो कि अभियुक्तों में से एक मृतक की पुत्री से विवाह करना चाहता था और मृतक को यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं था तथा मृतक अभियुक्तों के निमंत्रण पर एक अभियुक्त के मकान पर रात्रि-भोजन के लिए गया और अंतिम बार उसे अभियुक्तों के साथ देखा गया और उसके ठीक पश्चात् मृत पाया गया, वहां अभियुक्तों द्वारा अपने विरुद्ध प्रकट होने वाली परिस्थितियों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे मृतक की मृत्यु कारित करने का हेतु सिद्ध होता है और अभियुक्त का सामान्य आशय होने के कारण उसकी दोषसिद्धि उचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

इस अपील के तथ्यों के अनुसार, कुमार नामक व्यक्ति (अभियुक्त, जिसकी मृत्यु हो गई है) मृतक की पुत्री गीता से विवाह करना चाहता था । कुमार विवाहित था किंतु अपनी पत्नी से अलग रह रहा था और गीता थोड़ी-सी दूरी पर एक परिक्षेत्र में रह रही थी । मृतक मुरुगन (गीता का पिता) कुमार के गीता से विवाह करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं था । उसका यह कहना था कि कुमार ने पहले ही अपनी पत्नी का जीवन बर्बाद कर दिया है और अब वह उसकी पुत्री का भी जीवन बर्बाद करना चाहता है । घटना की तारीख को दोपहर बाद कुमार गीता के मकान पर गया और बकरे का मांस (मटन) पकाने के लिए मिर्च की मांग की । उस समय गीता मकान में अकेली थी । गीता ने जब उसे मिर्च देने से मना कर दिया, तो कुमार मकान में घुसा और अपने आप मिर्च ले ली और यह कहते हुए मकान से चला गया कि एक दिन वह उसका अपहरण करके उसके साथ बलात्संग करेगा । कुमार उसी दिन लगभग 10.00 बजे अपराह्न में मुरुगन (अपीलार्थी), जो उसका चचेरा भाई है, के साथ गीता के मकान पर गया और मुरुगन (गीता का पिता) को अपने मकान पर शराब पीने और रात्रि में

मासांहारी भोजन के लिए निमंत्रित किया । मुरुगन (गीता का पिता) ने निमंत्रण स्वीकार किया और उन दोनों के साथ कुमार के मकान पर गया । जब मुरुगन (गीता का पिता) घर वापस नहीं आया, तो गीता (अभि. सा. 1) लगभग 11.00 बजे अपराह्न में अकेली यह पता करने के लिए कुमार के मकान पर गई कि अब तक उसका पिता वापस क्यों नहीं आया और वह इतने लंबे समय तक कुमार के मकान में क्या कर रहा है । तथापि, उसने वहां पहुंचने पर पाया कि तीनों (कुमार, मुरुगन और अपीलार्थी) कमरे में लोहे की एक चारपाई पर बैठे हुए थे और एक-साथ शराब पी रहे थे । तीनों ने गीता को कहा कि उसका पिता-मुरुगन शीघ्र ही आ जाएगा । उसके पश्चात् गीता अपने मकान पर लौट आई । चूंकि मुरुगन अगले दिन सुबह तक घर वापस नहीं आया, इसलिए गीता (अभि. सा. 1) और उसकी माता (अभि. सा. 2) भौर में यह पता करने के लिए कुमार के मकान पर गईं कि मुरुगन अभी तक अपने मकान पर क्यों वापस नहीं आया । कुमार के मकान का सामने का दरवाजा बंद था । इसलिए उन दोनों ने सामने के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुलने पर उन्होंने पाया कि मुरुगन का शव कमरे में लोहे की चारपाई के निकट पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर कई सारी क्षतियां थी । पुलिस थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/364/34 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया । इसके पश्चात्, पुलिस ने अन्वेषण आरंभ किया । कुमार को गिरफ्तार किया गया और उसने अपनी दोषिता की संस्वीकृति की । तत्पश्चात्, पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त आयुध और उसके बताने पर उसके पिता के मकान से रक्तरंजित कमीज बरामद किए । इसके पश्चात्, उसी दिन अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया । पुलिस ने अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् कुमार और इस अपील में अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364 और 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोप पत्र फाइल किया । विचारण प्रारंभ होने से पूर्व ही मुख्य अभियुक्त कुमार की मृत्यु हो गई । इसलिए उसके विरुद्ध विचारण का उपशमन हो गया, जबकि सह-अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध विचारण जारी रहा । तथापि, अपीलार्थी ने दोषिता से इनकार किया । अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को साबित किया गया है और तद्नुसार उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 364 और 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अपीलार्थी अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अधिनिर्णीत अपनी

दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित हुआ और उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और अपर सेशन न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त-मुरुगन ने विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात्, इस न्यायालय ने यह पाया है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध तात्विक परिस्थितियों और घटनाओं की शृंखला को, जिसमें अपराध कारित करने के पीछे हेतु और वह रीति जिसमें घटना घटित हुई तथा जिसके परिणामस्वरूप मुरुगन की मृत्यु हुई सम्मिलित हैं, साबित करने के लिए तीन साक्षियों (अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3) की परीक्षा की थी । अभियोजन पक्ष के अनुसार, हेतु यह था कि कुमार का मृतक के प्रति वैमनस्य था क्योंकि उसे अपनी पुत्री-गीता से विवाह करने का कुमार का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं था । यह बात अभि. सा. 1, 2 और 3 के साक्ष्य से साबित हुई है । दोनों निचले न्यायालयों द्वारा इस साक्ष्य पर विश्वास किया गया है और, इस न्यायालय की राय में, ठीक किया गया है । अभियोजन पक्ष ने यह भी साबित किया है कि अपीलार्थी उसी रात कुमार के साथ कुमार के मकान पर मृतक को रात्रि-भोजन के लिए निमंत्रित करने हेतु उसके मकान पर गया था । मृतक ने निमंत्रण स्वीकार किया और कुमार तथा अपीलार्थी के साथ रात्रि-भोजन करने के लिए कुमार के मकान पर गया था । इसके पश्चात् यह साबित किया गया है कि गीता (अभि. सा. 1) लगभग 11.00 बजे अपराह्न में यह पता लगाने के लिए कुमार के मकान पर गई कि उसका पिता अपने मकान पर क्यों वापस नहीं आया और वहां पहुंचने पर उसने तीनों को लोहे की चारपाई पर बैठे हुए पाया और वे रात्रि-भोजन कर रहे थे । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, यह साबित हुआ है कि मुरुगन की मृत्यु उसी रात्रि में 11.00 और 12.00 बजे के बीच हुई थी । जब अपीलार्थी 11.00 बजे अपराह्न तक कुमार के साथ उसके मकान में मृतक (मुरुगन) के संग बैठा हुआ था और मुरुगन तथा कुमार के साथ रात्रि-भोजन किया था और उसके ठीक पश्चात् मुरुगन की मृत्यु हो गई तथा अपीलार्थी अभि. सा. 1, 2 और 3 की प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई बात प्रकट नहीं कर सका, जिससे उपर्युक्त तीनों साक्षियों के साक्ष्य को अविश्वसनीय और उसके विरुद्ध अभिसाक्ष्यित परिस्थितियों को नासाबित ठहराया जा सके । इस न्यायालय ने साक्ष्य से अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकट होने वाली आठ परिस्थितियां पायी हैं । ये परिस्थितियां हैं

प्रथम, मृतक की पुत्री के साथ कुमार के विवाह करने के प्रस्ताव से उसके सहमत न होने के कारण हेतु उसके विरुद्ध था ; द्वितीय, अपीलार्थी और कुमार, दोनों चचेरे भाई होने के कारण, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे ; तृतीय, दोनों मृतक के मकान पर उसे कुमार के घर रात्रि-भोजन के लिए निमंत्रित करने के लिए एक-साथ गए थे ; चतुर्थ, तीनों ने कुमार के घर एक-साथ रात्रि-भोजन किया था, पंचम्, मुरुगन की रात्रि-भोजन के ठीक पश्चात् मृत्यु हो गई थी ; षष्ठम्, कुमार ने अपना संस्वीकृति कथन किया था ; सप्तम्, कुमार के बताने पर आयुध और वस्त्रों की बरामदगी ; और अष्ठम, शव उस लोहे की चारपाई के निकट पड़ा हुआ पाया था जहां मुरुगन (मृतक) ने कुमार और अपीलार्थी के साथ अंतिम बार रात्रि-भोजन किया था । इस न्यायालय के मत में, पूर्वोल्लिखित आठ परिस्थितियों से अपीलार्थी के विरुद्ध घटनाओं की एक शृंखला बनती है और इनसे अपीलार्थी और कुमार के विरुद्ध मुरुगन की हत्या कारित करने का एक ठोस निष्कर्ष निकलता है । इस न्यायालय के मत में, इससे स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि दोनों (कुमार और अपीलार्थी) का मुरुगन की हत्या करने का सामान्य आशय था । अपीलार्थी और कुमार के बजाए कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता, जिसने प्रश्नगत अपराध किया हो । पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय यह सिद्धांत कि "मृतक अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था", अभियुक्त के विरुद्ध एक प्रबल परिस्थिति होती है । ऐसे मामलों में, यदि अभियुक्त अपने विरुद्ध प्रकट होने वाली तात्विक परिस्थितियों को उचित रूप से स्पष्ट करने में समर्थ नहीं होता है, तो उसे वह अपराध, जिसके लिए उसे आरोपित किया जाता है, कारित करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है । इस मामले में, दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया है और यह न्यायालय इस निष्कर्ष को उलटने का कोई आधार नहीं पाता है । (पैरा 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31 और 32)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 1498.

2006 की दांडिक अपील सं. 804 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 25 अप्रैल, 2007 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री चित्रांगदा राष्ट्रवर, (सुश्री) ऐश्वर्यटी, टी. गोपाल, (सुश्री) तनुजा पात्रा और ग्रुप कैप्टन करन सिंह भाटी

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री एम. योगेश कन्ना, (सुश्री) सुजाता बागधी, (श्रीमती) महालक्ष्मी और (सुश्री) नित्या

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – यह अपील 2006 की दांडिक अपील सं. 804 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 25 अप्रैल, 2007 को पारित उस अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी (अभियुक्त) द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी और 2006 के सेशन मामला सं. 5 में अपर सेशन न्यायाधीश, नमक्कल (त्वरित न्यायालय) द्वारा तारीख 2 अगस्त, 2006 को पारित उस आदेश की पुष्टि की, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें आगे "भारतीय दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 364 और 302/34 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए और भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन सात वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आजीवन कारावास भुगतने और 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था । दंडादेश साथ-साथ चलने थे ।

2. इस मामले में उद्भूत विवाद्यकों का मूल्यांकन करने के लिए अभियोजन के पक्षकथन को विस्तार से उपवर्णित करना आवश्यक है ।

3. "कुमार" नामक एक व्यक्ति (मृतक) एक लड़की "गीता" का चाचा था । सुसंगत समय पर गीता छठी कक्षा में थी । कुमार विवाहित था किंतु अपनी पत्नी से अलग रह रहा था और गीता थोड़ी-सी दूरी पर एक परिक्षेत्र में रह रही थी । कुमार, गीता को चाहने लगा था और उससे विवाह करना चाहता था ।

4. मुरुगन (गीता का पिता) कुमार के गीता से विवाह करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं था । मुरुगन (गीता का पिता) का यह कहना था कि कुमार ने पहले ही अपनी पत्नी का जीवन बर्बाद कर दिया है और अब वह उसकी पुत्री का भी जीवन बर्बाद करना चाहता है । दूसरी ओर, कुमार गीता को यह धमकी देता था कि एक दिन वह उसका अपहरण करके

उससे विवाह करेगा ।

5. अभियोजन का यह पक्षकथन है कि तारीख 1 दिसम्बर, 2002 को दोपहर बाद कुमार गीता के मकान पर गया और बकरे का मांस (मटन) पकाने के लिए "मिर्च" की मांग की । उस समय गीता मकान में अकेली थी । गीता ने जब उसे मिर्च देने से मना कर दिया, तो कुमार मकान में घुसा और अपने आप मिर्च ले ली और यह कहते हुए मकान से चला गया कि एक दिन वह उसका अपहरण करके उसके साथ बलात्संग करेगा ।

6. कुमार उसी दिन लगभग 10.00 बजे अपराह्न में मुरुगन (अपीलार्थी), जो उसका चचेरा भाई है (उसकी चाची का पुत्र) के साथ गीता के मकान पर गया और मुरुगन (गीता का पिता) को अपने मकान पर शराब पीने और रात्रि में मांसाहारी भोजन के लिए निमंत्रित किया । मुरुगन (गीता का पिता) ने निमंत्रण स्वीकार किया और उन दोनों के साथ कुमार के मकान पर गया ।

7. जब मुरुगन (गीता का पिता) घर वापस नहीं आया, तो गीता (अभि. सा. 1) लगभग 11.00 बजे अपराह्न में अकेली यह पता करने के लिए कुमार के मकान पर गई कि अब तक उसका पिता वापस क्यों नहीं आया और वह इतने लंबे समय तक कुमार के मकान में क्या कर रहा है । तथापि, उसने वहां पहुंचने पर पाया कि तीनों (कुमार, मुरुगन और अपीलार्थी) कमरे में लोहे की एक चारपाई पर बैठे हुए थे और एक-साथ शराब पी रहे थे । तीनों ने गीता को कहा कि उसका पिता-मुरुगन शीघ्र ही आ जाएगा । उसके पश्चात् गीता अपने मकान पर लौट आई ।

8. चूंकि मुरुगन अगले दिन सुबह तक घर वापस नहीं आया, इसलिए गीता (अभि. सा. 1) और उसकी माता सरोजा (अभि. सा. 2) भोर में यह पता करने के लिए कुमार के मकान पर गईं कि मुरुगन अभी तक अपने मकान पर क्यों वापस नहीं आया । कुमार के मकान का सामने का दरवाजा बंद था । इसलिए उन दोनों ने सामने के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुलने पर उन्होंने पाया कि मुरुगन का शव कमरे में लोहे की चारपाई के निकट पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर कई सारी क्षतियां थीं ।

9. यही वह घटना है जिसको लेकर गीता द्वारा (अभि. सा. 1) ने तारीख 2 दिसम्बर, 2002 को पुलिस थाना, जेदरपलायम में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-18) फाइल की गई, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/364/34 के अधीन 2002 के अपराध सं. 224 के रूप में रजिस्ट्रीकृत

किया गया । इसके पश्चात्, पुलिस ने अन्वेषण आरंभ किया, कुमार के मकान का दौरा किया, महाज़र (प्रदर्श पी-13) तैयार किया, कच्चा नक्शा (प्रदर्श पी-19) बनाया, फोटोग्राफ लिए, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए, शव की मरणोत्तर परीक्षा (प्रदर्श पी-4) कराई और वस्तुएं (एम. ओ. 5 और 12) बरामद कीं ।

10. इसके पश्चात्, पुलिस ने तारीख 3 दिसम्बर, 2002 को कुमार को गिरफ्तार किया और उसने अपनी दोषिता की संस्वीकृति की । तद्नुसार, उसका संस्वीकृति कथन (प्रदर्श पी-15) अभिलिखित किया गया । तत्पश्चात्, पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त आयुध (अरुवल-एम. ओ. 14) और उसके बताने पर उसके पिता के मकान से रक्तरंजित हरी कमीज बरामद किए । इसके पश्चात्, उसी दिन अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया ।

11. पुलिस ने अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् कुमार और इस अपील में अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364 और 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोप पत्र फाइल किया । इसके पश्चात् मामले को विचारण के लिए अपर सेशन न्यायाधीश, नमक्कल (2006 का सेशन विचारण सं. 5) को सुपुर्द किया गया ।

12. विचारण प्रारंभ होने से पूर्व ही मुख्य अभियुक्त कुमार की मृत्यु हो गई । इसलिए उसके विरुद्ध विचारण का उपशमन हो गया, जबकि सह-अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध विचारण जारी रहा । तथापि, अपीलार्थी ने दोषिता से इनकार किया ।

13. अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए 12 साक्षियों की परीक्षा की, 20 प्रदर्श चिन्हित किए तथा 15 तात्विक वस्तुएं प्रस्तुत कीं । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" कहा गया है) की धारा 313 के अधीन कार्यवाहियों में अपीलार्थी से उसके विरुद्ध प्रतीत होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया, किंतु उसने कोई स्पष्टीकरण दिए बिना परिस्थितियों सहित आरोपों से इनकार किया ।

14. अपर सेशन न्यायाधीश ने तारीख 2 अगस्त, 2006 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को साबित किया गया है और तद्नुसार उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 364 और 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन

कारावास और धारा 364 के अधीन सात वर्ष का कारावास तथा क्रमशः 5,000/- रुपए और 1,000/- रुपए का जुर्माना अधिनिर्णीत किया ।

15. अपीलार्थी अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अधिनिर्णीत अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित हुआ और उच्च न्यायालय में अपील फाइल की ।

16. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपील खारिज कर दी और अपर सेशन न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त-मुरुगन ने विशेष इजाजत लेकर इस न्यायालय में यह अपील फाइल की ।

17. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल सुश्री चित्रांगदा और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री एम. योगेश कन्ना को सुना ।

18. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने पर हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं ।

19. हमने यह पता लगाने की दृष्टि से साक्ष्य का परिशीलन किया है कि क्या दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण, तर्क और निकाले गए निष्कर्ष विधिक रूप से कायम रखने योग्य हैं या नहीं ।

20. विधि का यह स्थिर सिद्धांत है कि जब निचले न्यायालयों ने अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे समवर्ती निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं जो साक्ष्य के सम्यक् मूल्यांकन पर आधारित हैं, तो यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन ऐसे समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में तत्परता नहीं दिखाएगा और साक्ष्य का तब तक नए सिरे से मूल्यांकन नहीं करेगा जब तक प्रथमदृष्ट्या यह दर्शित नहीं किया जाता है कि दोनों निचले न्यायालयों ने या तो सुसंगत साक्ष्य पर विचार नहीं किया है या दोनों निचले न्यायालयों आदि द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों में कोई अनुचितता या/और अर्थहीनता विद्यमान है ।

21. तथापि, हमने यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का परिशीलन करने का प्रयास किया है कि क्या दोनों निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में किसी प्रकार की कमी है या/और क्या समवर्ती निष्कर्ष विधिक और तथ्यात्मक रूप से कायम रखने योग्य हैं या इन्हें उलटे जाने की आवश्यकता है । साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् हमारा यह मत है कि ये निष्कर्ष विधिक और तथ्यात्मक रूप से कायम रखने योग्य हैं ।

22. हमारी सुविचारित राय में, दोनों निचले न्यायालयों ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है, जिसे इस मामले में अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित करने में समर्थ रहा है । दूसरे शब्दों में, हमारा भी यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकट होने वाली परिस्थितियों/घटनाओं की शृंखला को अटूट साबित करने में समर्थ रहा है और इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखने योग्य है ।

23. साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात्, हमने यह पाया है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध तात्विक परिस्थितियों और घटनाओं की शृंखला को, जिसमें अपराध कारित करने के पीछे हेतु और वह रीति जिसमें घटना घटित हुई तथा जिसके परिणामस्वरूप मुरुगन की मृत्यु हुई सम्मिलित हैं, साबित करने के लिए तीन साक्षियों (अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3) की परीक्षा की थी ।

24. अभियोजन पक्ष के अनुसार, हेतु यह था कि कुमार का मृतक के प्रति वैमनस्य था क्योंकि उसे अपनी पुत्री गीता से विवाह करने का कुमार का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं था । यह बात अभि. सा. 1, 2 और 3 के साक्ष्य से साबित हुई है । दोनों निचले न्यायालयों द्वारा इस साक्ष्य पर विश्वास किया गया है और, हमारी राय में, ठीक किया गया है ।

25. अभियोजन पक्ष ने फिर यह साबित किया कि अपीलार्थी उसी रात कुमार के साथ कुमार के मकान पर मृतक को रात्रि भोजन के लिए निमंत्रित करने हेतु उसके मकान पर गया था । मृतक ने निमंत्रण स्वीकार किया और कुमार तथा अपीलार्थी के साथ रात्रि भोजन करने के लिए कुमार के मकान पर गया था ।

26. इसके पश्चात् यह साबित किया गया कि गीता (अभि. सा. 1) लगभग 11.00 बजे अपराह्न में यह पता लगाने के लिए कुमार के मकान पर गई कि उसका पिता अपने मकान पर क्यों वापस नहीं आया और वहां पहुंचने पर उसने तीनों को लोहे की चारपाई पर बैठे हुए पाया और वे रात्रि भोजन कर रहे थे । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, यह साबित हुआ है कि मुरुगन की मृत्यु उसी रात्रि में 11.00 और 12.00 बजे के बीच हुई थी ।

27. हमारी राय में, जब अपीलार्थी 11.00 बजे अपराह्न तक कुमार के साथ उसके मकान में मृतक (मुरुगन) के संग बैठा हुआ था और मुरुगन तथा कुमार के साथ रात्रि भोजन किया था और उसके ठीक

पश्चात् मुरुगन की मृत्यु हो गई तथा अपीलार्थी अभि. सा. 1, 2 और 3 की प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई बात प्रकट नहीं कर सका, जिससे उपर्युक्त तीनों साक्षियों के साक्ष्य को अविश्वसनीय और उसके विरुद्ध अभिसाक्षित परिस्थितियों को नासाबित ठहराया जा सके ।

28. इसके अतिरिक्त, हमारी राय में, अपीलार्थी के लिए यह आवश्यक था कि वह संहिता की धारा 313 के अधीन कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध प्रकट होने वाली पूर्वोल्लिखित परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देता । तथापि, अपीलार्थी किसी भी परिस्थितियों को स्पष्ट करने में असफल रहा और अपराध में अपनी अंतर्ग्रस्तता से इनकार किया ।

29. हम साक्ष्य से अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकट होने वाली आठ परिस्थितियां पाते हैं । ये परिस्थितियां हैं – प्रथम, मृतक की पुत्री के साथ कुमार के विवाह करने के प्रस्ताव से उसके सहमत न होने के कारण हेतु उसके विरुद्ध था ; द्वितीय, अपीलार्थी और कुमार, दोनों चचेरे भाई होने के कारण, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे ; तृतीय, दोनों मृतक के मकान पर उसे कुमार के घर रात्रि भोजन के लिए निमंत्रित करने के लिए एक-साथ गए थे ; चतुर्थ, तीनों ने कुमार के घर एक-साथ रात्रि भोजन किया था, पंचम्, मुरुगन की रात्रि भोजन के ठीक पश्चात् मृत्यु हो गई थी ; षष्ठम्, कुमार ने अपना संस्वीकृति कथन किया था ; सप्तम्, कुमार के बताने पर आयुध और वस्त्रों की बरामदगी ; और अष्ठम्, शव उस लोहे की चारपाई के निकट पड़ा हुआ पाया था जहां मुरुगन (मृतक) ने कुमार और अपीलार्थी के साथ अंतिम बार रात्रि भोजन किया था ।

30. हमारे मत में, पूर्वोल्लिखित आठ परिस्थितियों से अपीलार्थी के विरुद्ध घटनाओं की एक शृंखला बनती है और इनसे अपीलार्थी और कुमार के विरुद्ध मुरुगन की हत्या कारित करने का एक ठोस निष्कर्ष निकलता है ।

31. हमारे मत में, इससे स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि दोनों (कुमार और अपीलार्थी) का मुरुगन की हत्या करने का सामान्य आशय था । हमारे मत में, अपीलार्थी और कुमार के बजाय कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता, जिसने प्रश्नगत अपराध किया हो ।

32. पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय यह सिद्धांत कि "मृतक अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था", अभियुक्त के विरुद्ध एक प्रबल परिस्थिति होती है । ऐसे मामलों में, यदि अभियुक्त अपने विरुद्ध प्रकट होने वाली तात्विक परिस्थितियों को उचित रूप से स्पष्ट करने में

समर्थ नहीं होता है, तो उसे वह अपराध, जिसके लिए उसे आरोपित किया जाता है, कारित करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है । इस मामले में, दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया है और हम इस निष्कर्ष को उलटने का कोई आधार नहीं पाते हैं ।

33. हम अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील से प्रभावित नहीं हैं कि कुमार (मुख्य अभियुक्त) की मृत्यु विचारण का सामना किए बिना हो गई थी, इसलिए अपीलार्थी साफ-साफ दोषमुक्ति का हकदार है क्योंकि कुमार की मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थी के अभियोजन के लिए उसके विरुद्ध अब कुछ शेष नहीं रह जाता है । हम इस दलील से सहमत नहीं हैं ।

34. हमारे मत में, जहां तक अपीलार्थी के अभियोजन का संबंध है, इसमें कुमार की मृत्यु से कोई सरोकार नहीं है । इसका कारण यह है कि यह मुरुगन की हत्या करने के लिए दो अभियुक्त व्यक्तियों के सामान्य आशय का मामला है और अपीलार्थी अभियुक्तों में से एक अभियुक्त है जिसे अपराध कारित करने में अंत तक अन्य अभियुक्त, जिसकी मृत्यु हो गई है, के साथ सक्रिय रूप से भागीदार पाया गया है ।

35. अतः, हमारे मत में, दोनों निचले न्यायालयों ने अभियोजन साक्षी के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन करके अपीलार्थी को, सह-अभियुक्त की मृत्यु होने पर भी, जिसका अपराध कारित करने में अपीलार्थी की अंतर्ग्रस्तता का विनिश्चय करने से कोई संबंध नहीं है, प्रश्नगत अपराध कारित करने के लिए दोषी ठहराकर ठीक किया है ।

36. अतः, हम दोनों निचले न्यायालयों द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया गया है उससे भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं पाते हैं और हम उनके तर्काधार और निष्कर्ष से, हमारे द्वारा ऊपर वर्णित अतिरिक्त तर्काधार सहित, सहमत हैं ।

37. इस प्रकार, इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाया गया है । यह असफल होती है और तद्नुसार खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.